शिक्षक शिक्षा में गुणात्मकता

राकेश कुमार जैन (शोधार्थी)
जैन विश्व भारती संस्थान
(मान्य विश्वविद्यालय) लाडनूँ (नागौर)

प्रो. बी.एल. जैन (विभागाध्यक्ष)
शिक्षा विभाग
जैन विश्व भारती संस्थान,
(मान्य विश्वविद्यालय) लाडनूँ, (नागौर)

सारांश . शिक्षा का केन्द्र अध्यापक है और अध्यापकों की गुणवत्ता प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबिम्बित होती है। जहॉ तक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य आधारभूत सुविधाओं की बात है, वह अधिकांश संस्थाओं में लगभग एक जैसी रहती है। कुछ संस्थाओं की प्रतिष्ठा अधिक होती है, जिससे आकृष्ट होकर छात्र वहॉ प्रवेश लेते है। ये अन्तर शिक्षकों की गुणवत्ता के कारण होता है। वर्तमान में अध्यापक शिक्षा की समीक्षा आवश्यक है। विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता लाना आवश्यक है। गुणवत्ता केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं लायी जा सकती बल्कि उन मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता को महसूस करने से लायी जा सकती है जिनको अपनाकर गुणवत्ता में वृद्धि हो सकें। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता की जड़ विद्यार्थी–शिक्षकों एवं पालकों (समाज) में निहित है, जो शिक्षा के तमाम स्तरों में गुणवत्ता लाएगी। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं व्यवस्थाओं में ऐसी अवधारणाओं का निवेश करना चाहिए, जो अध्यापक शिक्षा को सतत् रूप से समकालीन समाज के अनुरूप न केवल सबल बनाये बल्कि उसका प्रभावी नेतृत्व करने का सामर्थ्य भी रखें, तभी जाकर सामयिक व गतिशील अध्यापक शिक्षा का उदय हो पायेगा।

मूलशब्द . शिक्षक शिक्षा, पाठ्यक्रम, गुणवत्ता, भावी शिक्षक।

प्रस्तावना :– शिक्षक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो भावी शिक्षक को एक कुशल, योग्य एवं सफल शिक्षक बनने के लिए प्रदान की जाती है। अध्यापक शिक्षा का सम्बन्ध सीधे तौर पर विद्यालयी शिक्षा से है क्योंकि अध्यापक शिक्षा के द्वारा विद्यालय के लिए शिक्षकों को तैयार किया जाता है।

अध्यापक शिक्षा का सम्बन्ध सिर्फ शिक्षण कला में निपुणता से नही है, बल्कि इसका उद्देश्य भावी शिक्षकों का व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक एवं नैतिक विकास कर उन्हें अध्यापक के विभिन्न उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न करने योग्य बनाना है। आज वर्तमान युग में जहाँ पूरा विश्व ज्ञान विस्फोट एवं जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याओं से रूबरू हो रहा है। शिक्षक शिक्षा का कार्य और भी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हो गया है। नित्य हो रहे विद्यालय के पाठ्यक्रम में बदलाव, मूल्यांकन की नई चुनौतियाँ एवं शिक्षण विधियों एवं प्रविधियो से सम्बन्धित शोध–खोज शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। एक अच्छे अध्यापक के लिए न केवल कक्षा शिक्षण में प्रवीण होना आवश्यक है, बल्कि उसे एक शिक्षक के रूप में शिक्षक के अन्य दायित्वों के पालन में पारंगत होने की आवश्यकता है। परीक्षा एवं मूल्यांकन, अनुशासन, विद्यालय प्रशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन, समाज में शिक्षा की महत्ता

की स्थापना जैसे कार्य भी अध्यापक को करने होते है और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान उसे इन विभिन्न प्रकृति के कार्यों के संपादन के लिये तैयार करता है।

उद्देश्य :–भावी शिक्षकों का व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक एवं नैतिक विकास कर उन्हें अध्यापक के विभिन्न उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न करने योग्य बनाना है

शिक्षक शिक्षा के ढाँचे की दरारें :– आज हमारे देश में व्यापक पैमाने पर शिक्षक–शिक्षा का ढाँचा विद्यमान है और यह दावा भी किया जाता रहा है कि इस ढाँचे के द्वारा कुशल शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। लेकिन कुछ अपवादों को छोड दिया जाये तो शिक्षक–शिक्षा के प्रचलित ढाँचे, कार्यशैली और प्रासंगिकता को लेकर व्यापक असंतोष व्यक्त किया जाता रहा है। मशरूम की तरह उगाये शिक्षक–शिक्षा संस्थानों में स्वयंभू विशेषज्ञों की मौजूदगी में शिक्षण के कौशलों के अभ्यास, पाठ योजना निर्माण द्वारा पाठों की पूर्ति की कवायद को देखा जा सकता है। इस क्रम में शिक्षक शिक्षा का पूरा ध्येय प्रशिक्षुओं को उन कौशलों से लैस कर देना होता है जो केवल कक्षा में उनके प्रदर्शन को प्रभावी बनाए। ऐसे अध्यापकों से जिन्हें कक्षा–शिक्षा और कक्षा नियंत्रण के लिए तैयार किया जा रहा है, से हम यह कैसे उम्मीद कर सकते है कि वे सीखने–सिखाने की गतिविधियों को वृहत्तर शैक्षिक अनुभवों से जोडेगें। किस प्रकार से वे शिक्षा प्रक्रिया के न दिखने वाले प्रभावों (प्रच्छन्न प्रभावों) का विश्लेषण करेगें और उसके प्रति सचेत रहेगें। स्पष्ट है कि शिक्षक–शिक्षा के अन्तर्गत जिस प्रगतिशीलता का पाठ दिया जाता है उसकी विधि ही स्वयं में प्रगतिशीलता के मूल्यों के विपरीत होती है। शिक्षक–शिक्षा के केवल कक्षा की प्रक्रियाओं के इर्द–गिर्द सीमित रह जाने के कारण शिक्षक अपने व्यवसाय की प्रासंगिकता को व्यापक संदर्भों में नही ग्रहण कर पाता है। इसका प्रभाव केवल उसके 'प्रोफेशन' तक ही सीमित नही रहता बल्कि उसकी अपनी पहचान को भी प्रभावित करता है। शिक्षक–शिक्षा की गुणवत्ता पर एक और सवालिया निशान लग गया जब शिक्षक–प्रशिक्षण के उपरान्त भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान कर दिया। शायद शिक्षण एकमात्र ऐसा व्यवसाय होगा जहॉ औपचारिक प्रशिक्षण के बाद भी व्यवसाय से जुड़ने के लिए पुनः पात्रता परीक्षा देनी पड़ती हो।

शिक्षक–शिक्षा के केन्द्र अधिकतर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या जिला शिक्षक–प्रशिक्षण केन्द्र होते है। ये तीनों ही विद्यालयों से अधिकार तथा शक्ति में ऊपर होते है और अपनी इस उच्चता (हायरार्की) को बनाये रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय और शिक्षक केन्द्रों के बीच एक तरह का संवाद का अभाव पैदा हो जाता है। यह स्थिति उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के लिए 'अकादमिशीयन' होने के अहम को मजबूत करते हुए उन्हें स्कूल की वास्तविकताओं से दूर करती है वहीं स्कूल के शिक्षकों को यथार्थ अनुभव के होने के बावजूद तकनीकी शब्दावली में कमजोर होने का भाव पैदा करती है। इसके कारण सिद्धान्त और अभ्यास अलग–थलग पड़ जाते है और शिक्षकों की

शिक्षा रस्म अदायगी होकर रह जाती है। शिक्षक शिक्षा के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों का ढाँचा भी परम्परागत है। यह मनन की संभावनाओं की बजाय सुझावात्मक है। इसमें शिक्षा और समाज के आपसी रिश्तों और उनसे जुड़े सरोकारों और समकालीन विमर्शों को शामिल नही किया गया है। इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक और प्रायोगिक अध्ययन का ढाँचा प्रायः जिस शिक्षार्थी की छवि को केन्द्र में रखता है वह संदर्भ निरपेक्ष है। जबकि भारतीय परिवेशों में हुए शोध कार्यों मे भी प्रमाण दिया है कि शिक्षार्थी की पहचान उसके सामाजीकरण के संदर्भों से जैसे जेण्डर, धर्म, भाषा और क्षेत्र जैसे कारको से तय होती है और उसी में स्थापित होती है। शिक्षकों की भाषिक, तकनीकी और सम्प्रेषण सम्बन्धी कुशलताओं के विकास को लगभग किनारे रख दिया गया है। इस सब के साथ शिक्षक–शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों को तैयार करने वाले ढाँचे का स्पष्ट विचार और उसकी उपस्थिति का भी अभाव है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में संलग्नता से प्रशिक्षु–शिक्षक न तो सैद्धान्तिक समझ को बड़े दायरे में देख पाते हैं, न ही उन्हें अपने अभ्यास पर सोचने–समझने का मौका मिलता है।

शिक्षक–शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए नीतिगत प्रयास :– यदि हम विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों को देखे तो सभी में शिक्षक–शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति चिन्ता और उसमें सुधार के सुझावों को देख सकते है। शिक्षा, विशेष रूप से विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की सक्षमता और वृत्तिकता से प्रत्यक्षतः संबद्ध है। इस मान्यता के साथ स्वतंत्र भारत में शिक्षा से जुड़े प्रत्येक नीतिगत दस्तावेजों यथा – विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953), शिक्षा आयोग (1964–66) कोठारी आयोग, चट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट (1990) में शिक्षक शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुधार और आंकलन व प्रत्ययन के संदर्भ में सुझाव दिये गये है। उल्लेखनीय है कि कोठारी आयोग (1964–66) की रिपोर्ट में सुझाया गया है कि शिक्षक–शिक्षा को विश्वविद्यालय और विद्यालय दोनों से जुड़ा रहना चाहिए। इस आयोग ने यह भी सुझाया है कि माध्यमिक शिक्षकों की तैयारी के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983–85) जिसे चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं ने शिक्षक और समाज के सम्बन्धों के विभिन्न पक्षों और भारतीय परिवेश में शिक्षक की वृहत्तर भूमिका का उल्लेख करते हुए शिक्षक–शिक्षा के लिए पाँच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने सेवापूर्व और सेवारत शिक्षक–शिक्षा को परस्पर सम्बन्धित माना। इसमें संस्थागत सुधारों के लिए जिला शिक्षक–प्रशिक्षण केन्द्रों, शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए केन्द्रों (IASE) और शिक्षा में तकनीकी और प्रौद्योगिकी के प्रयोगों ओर नवाचारों को बढ़ावा देने वाले ढाँचों के विकास की भी बात की। 1988 में पुनः शिक्षक–शिक्षा की पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसमें बालकेन्द्रित शिक्षा की मान्यताओं के अनुरूप शिक्षक के लिए सुगमकर्ता, सीखने के परिवेश के निर्माणकर्ता, विभिन्न वृत्तिक कौशलों से युक्त, प्रभावी सम्प्रेषणकर्ता जैसे विशेषकों का प्रयोग किया गया।

21वीं शताब्दी का पहला दशक शिक्षक–शिक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दशक रहा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण ज्ञान–मीमांसीय और शिक्षण शास्त्रीय सुधारों को सुझाया गया। इस प्रकार के सुधार ने शिक्षक की भूमिका को नये तरीके से परिभाषित किया। शिक्षक को 'ज्ञान का दाता' न मानकर 'ज्ञान का सहनिर्माता' माना गया। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 में भी शिक्षक को एक प्रमुख भागीदार माना गया है। इसमें 2015 तक आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, इस अधिनियम को क्रियान्वित करने में उनकी सक्रिय भूमिका और सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को ही महत्वपूर्ण माना गया हैं। इस अधिनियम की व्याख्या शिक्षक की भूमि को एक कक्षा और एक विद्यालय के कर्मी के साथ–साथ स्थानीय समुदाय से जुड़े सक्रिय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती है। इन्हीं अनुशंसाओं के समान्तर शिक्षक–शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009, भी शिक्षक को एक मननशील अभ्यासकर्ता मानती है और शिक्षक की परिकल्पना सदय शिक्षक (Humane Teacher) के रूप में करती हैं।

शिक्षक–शिक्षा के लिए एक नई पहल : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाऐं :– विगत दशक में तैयार की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, शिक्षक–शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 और न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट, 2012 ने शिक्षक–शिक्षा में आमूल–चूल बदलाव की सिफारिश की है। ऐसी स्थिति में नये तरीके के विचारों के जनन और उनका प्रसार विश्वविद्यालयों का दायित्व बनता है। इस दिशा में एन.सी.ई.आर.टी. के क्षेत्रीय कॉलेजों और केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय के बी.एल.एड. कार्यक्रम में शिक्षक–शिक्षा के क्षेत्र में एक नये और प्रगतिशील चलन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में एन.सी.ई.आर.टी., एन.सी.टी.ई. और केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा द्वि–वर्षीय शिक्षक–शिक्षा (बी.एड.) की पाठ्यचर्या को भी प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षण का दायरा केवल कक्षा में पढ़ाने तक ही सीमित न रहकर शिक्षा से जुड़े अन्य क्षेत्रों विशेष रूप से नीति क्रियान्वयन, शैक्षिक प्रशासन और शिक्षा से जुड़ी लोकनीति के क्रियान्वयन तक विस्तृत है। इन क्षेत्रों के लिए जिस प्रकार की विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है उसके विकास के लिए भी शिक्षक–शिक्षा में अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही भावी शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता को मजबूत किया जा सकेगा। सेवारत शिक्षकों के अनुभव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक–शिक्षा के ढाँचे को अक्सर सेवापूर्व (प्रिसर्विस) और सेवारत (इनसर्विस) शिक्षक–शिक्षा की श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। सेवारत शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके शिक्षकों को नये शैक्षिक विकास और नवाचारों से अवगत कराया जाता हैं। इस प्रयास को गुणात्मक दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए उन्हें एक ऐसे मंच पर लाने की आवश्यकता है जहॉ वे अपने व्यावसायिक समुदाय के प्रशिक्षुओं से अपने अनुभवों को साझा कर सकें। उन्हें शिक्षा की समकालीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में नई–नई जानकारी मिले जहॉ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और प्रशिक्षु और उनके बीच संवाद हो सके।

संपर्क, संवाद और सृजन : प्रगतिशील शिक्षक–शिक्षा की फलक :– शिक्षक–शिक्षा के बदलाव से जुड़े सवालों के केन्द्र में उच्च शिक्षा में शिक्षक–शिक्षा के स्थान, गुणवत्ता के लिए पाठ्यचर्या की पुनर्संरचना और उसके क्रियान्वयन के पक्षों को मजबूत करने के रास्तो तथा शिक्षा और सामाजिक सरोकारों के बीच सार्थक संवाद की स्थापना की संभावना को रखना चाहिए। इस प्रकार के प्रयासों से ही हम ऐसे भावी शिक्षक की कल्पना कर सकते है जो स्वयं में सशक्त और आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए वृहत्तर सामाजिक संदर्भों में अपनी भूमिका समझ सके। जो विद्यार्थी की चेतना के प्रस्फुटन, उनकी जिज्ञासाओं को प्रेरित करने का माध्यम बन सके और उनकी सृजनात्मकता व सीखने की इच्छा का पोषण कर सके।

उपसंहार :– राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक–शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जारी कवायद स्वागत योग्य है। लेकिन इस पूरी कवायद में हमें कुछ सवालों को ध्यान में रखना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करने की आवश्यकता है। अतः शिक्षक–शिक्षा के अन्तर्गत इन सभी स्तरों के शिक्षकों की तैयारी को शामिल किया जाये। यद्यपि किसी न किसी रूप में इन सभी स्तरों के लिए शिक्षकों की तैयारी का ढाँचा मौजूद है लेकिन उनमें आंतरिक विसंगतियां है। उच्च शिक्षा विद्यार्थी को पहचान निर्माण के बजाय पहचान विभ्रम की ओर ढ़केलता है जहॉ विद्यार्थी खुद का चिंतन और विचारों के विकास के बजाय शॉर्टकट खोजता रहता है। आज जरूरत है कि शिक्षा में अध्ययन–अध्यापन के तरीकों को भी शिक्षा के समकालीन सरोकारों से जोड़ा जाए। उसके अभ्यासों को अद्यतन और व्यावहारिक किया जाए। ऐसा करने पर ही उच्च शिक्षा, शिक्षक–शिक्षा को सशक्त करने में अपनी भूमिका अदा कर पाएगी।

संदर्भ

- एन.सी.ई.आर.टी. (1978), टीचर एजुकेशन करीकुलम : ए फ्रेमवर्क, नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.।
- एन.सी.टी.ई. (1998), करीकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली : एन.सी.टी.ई.।
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005, नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.।
- एन.सी.टी.ई. (2009), नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन : टूअर्ड्स ए ह्यूमेन एण्ड प्रोफेशनल टीचर,

  नई दिल्ली : एन.सी.टी.ई.।
- भारत सरकार (1986), नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन।
- भारत सरकार (2009), शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009।

- जितेन्द्र लोढा (2013) : नई सदी की चुनौतियाँ और अध्यापक शिक्षा ; भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, वर्ष–34, अंक–2, अक्तूबर 2013, पृष्ठ सं. (14–18)
- पाटीदार, जितेन्द्र कुमार (2015) : मैं हूँ शिक्षक शिक्षा ; भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, वर्ष–35, अंक–3, जनवरी 2015, पृष्ठ सं. (10–12)